



व्यापम परीक्षा निर्देश

संचालनालय मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा (FFI24)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 01.02.2024 (गुरुवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – 22.02.2024 (गुरुवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3. त्रुटि सुधार – 23.02.2024 से 25.02.2024 तक
4. परीक्षा केन्द्र : – रायपुर

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्त के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को भली-भाँति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है –

1. ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा।
2. OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
3. ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि/त्रुटि सुधार कर की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग 07 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा । अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं । साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं ।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

उक्त परीक्षा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लेवें ।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें-

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन ।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।

नोट- अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

8. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :-

8.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड संलग्न है । परीक्षार्थी एक बार कोड को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।

8.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा । दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा । सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

9. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

10. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 100 है, में से 06 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 94 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, 34 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा निगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार होगी —

$$\begin{array}{rcl} \text{सही उत्तरों की संख्या} & - & \text{गलत उत्तरों की संख्या एवं काटे गये अंक} = \text{अभ्यर्थी का प्राप्तांक} \\ 60 & - & 34 & = & 60 - 8.5 = 51.5 \\ & & \underline{\quad\quad} & = & 8.5 \\ & & 4 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{प्राप्तांक} \times \text{कुल प्रश्न} & & 51.5 \times 100 & = & 5150 \\ \hline & = & & = & 54.787 \text{ कुल प्राप्तांक} \\ \text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न} & & 100 - 6 & = & 94 \end{array}$$

तदनुसार कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी।

11. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची एवं कुल प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

12. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

13. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1.	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर

संचालनालय मछली पालन, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

विज्ञापन

क्रमांक- 108 / सं.म./स्था./भर्ती/2023-24

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/01/2024

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 दिनांक 03.05.2023 में आरक्षण संबंधी निहित निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ -6-5/36/ तकनीकी/2023/30 दिनांक 24.01.2024 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन मत्स्य निरीक्षक (कार्यपालिक) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आनलाईन आवेदन छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है-

स. क्र.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ0ग0 की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रु. 28700/- (लेवल-07)	29	08	23	10	08	02	06	03	05 (बैकलॉग-1) अस्थि बाधित-01, श्रवण बाधित-01, दृष्टि बाधित-03	07	70

शैक्षणिक योग्यता :-

मत्स्य निरीक्षक पद हेतु- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।

नियम एवं शर्तें -

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. आयु सीमा -

मत्स्य निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2024 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण ना की हो।

तथापि सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर, जिला रायपुर दिनांक 18/01/2024 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की दी गई छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू

होगी।

आयु सत्यापन हेतु पाँचवीं, अथवा आठवीं अथवा दसवीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ0ग0 शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता / नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।

3. आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर कीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने के तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
4. महिलाओं के लिए आरक्षण:- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-2/97/3/1 दिनांक 18.02.1997 अनुसार चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 07 से 10 में आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन न होने से, ऐसे पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।
5. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था :- उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 00 11 अनुसार दिव्यांगजनों के लिए पद आरक्षित हैं। आरक्षित रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध चयनित दिव्यांग उम्मीदवार के जाति प्रवर्ग के आधार पर उम्मीदवार का नाम, आरक्षण रोस्टर के संबंधित बिंदु में प्रविष्टि की जावेगी। दिव्यांगजनों की निःशक्तता की पात्र श्रेणियां OA (एक भुजा), OL (एक पैर), CL (कुष्ठ उपचारित), LV (कम दृष्टि), HH (श्रवण बाधित) होगी।
6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुदेश - उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 12 अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित है। शैक्षणिक अर्हताधारी भूतपूर्व सैनिकों को विज्ञप्ति में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त,

भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छ0ग0 भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 में निहित प्रावधान यथा-संशोधित लागू होंगे। उम्मीदवार के जाति प्रवर्ग के आधार पर चयनित उम्मीदवार का नाम, उसके जाति के आधार पर आरक्षण रोस्टर के संबंधित बिंदु में प्रविष्टि की जावेगी। पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी की अनुपलब्धता में कुल वर्गवार रिक्तियों के आरक्षण के उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पद की पूर्ति की जावेगी।

7. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा।
9. संचालक मछली पालन छ0ग0 रायपुर द्वारा, बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।
10. शासन द्वारा नियमों/ भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।

11. **चयन प्रक्रिया -**

अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा:-

व्यवसायिक परीक्षा मंडल, (व्यापम), रायपुर, छ0ग0 द्वारा भर्ती परीक्षा ली जावेगी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर प्राविण्य सूची (Merit List) तैयार की जावेगी, जिसके आधार पर विभागीय चयन समिति के परीक्षण उपरांत सीधी नियुक्ति दी जावेगी, अर्थात् अर्जित अधिकतम प्राप्तांक से तैयार प्राविण्य सूची ही सीधी भरती का आधार होगा, पृथक से साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

व्यापम से प्राप्त प्राविण्य सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के विहित योग्यता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, विभागीय चयन समिति के द्वारा किया जावेगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभाग द्वारा की जावेगी।

12. अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।
13. अभ्यर्थी द्वारा व्यापम अथवा विभाग को दी गई जानकारी यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा नियुक्ति के पश्चात् असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
14. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर एवं नियुक्ति के पश्चात् भी अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 दिनांक 03.05.2023 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

16. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर की जावेगी।
17. चयन सूची जारी होने के दिनोंक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।
18. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मछली पालन, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़